न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ,जिला–झुझुंनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 72/2024
जीसीएमएस नं. 2024/207

(रचना वगै0 बनाम विधाधर वगै0)

प्रा.पत्र :– प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते निरस्त करने एक पक्षीय आदेश दिनांक 22.12.2022 व निर्णय दिनांक 10.08.2023

प्रार्थना पत्र – प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् प्रा. पत्र मूल आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत विधिसम्मत नही होने से खारीज किये जाने ।

वकील आवेदक/अप्रार्थी–श्री दीपेन्द्र सिह
वकील अनावेदक /प्रार्थी – श्री विजेन्द्र सिह दूत

आदेश

दिनांक 02.06.2025

प्रकरण में अनावेदक/प्रार्थी विधाधर ने एक प्रा. पत्र इस कदर पेश किया कि, माननीय न्यायालय द्वारा 10.08.2023 को पत्थरगढी करने बाबत् निर्णय पारित करके तहसीलदार नवलगढ को पालना के लिये आदेशित किया है। जिसके विरूद्व उक्त प्रा. पत्र पेश किया गया है। लेकिन प्रथम तो इस प्रकार के प्रा.पत्र समरी ट्रायल है, जिसके आदेश के विरूद्व अपर न्यायालय मे अपीलीय या रिविजन करके रिलीफ प्राप्त करने का कानूनी उपचार उपलब्ध है। उक्त कानून केवल एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करवाने के लिये लागू है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के विरूद्व कानूनी कार्यवाही अपर न्यायालयों मे करने का नियम व प्रावधान है। माननीय न्यायालय को अपने निर्णय व आदेशो के विरूद्व स्थगन जारी करने व रोकने का कानून मे कोई स्थान नही है। इस प्रकार के निर्णय के विरूद्व उक्त कानून लागू नही होता हैं और कानूनी प्रावधान नही होने से यह प्रा. पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रथम दृष्ट्या ही खारीज योग्य है। उक्त प्रा. पत्र गलत व विधि विरूद्व करीब एक वर्ष पश्चात् पेश किया है जिसको खारीज किया जाना न्याय संगत है। इसलिये विधिविरूद्व प्रा. पत्र होने से खारीज किया जावे।

प्रा.पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति की नकल वकील अप्रार्थी को दी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब निम्न प्रकार से पेश किया:–

प्रा. पत्र का समरी ट्रायल होना कानूनी बिन्दू है। बिना सुनवाई के आदेश के विरूद्व आहत व्यक्ति विधि के विभिन्न प्रावधानों की सुनवाई कर आदेश पारित करने का निवेदन करने का अधिकार रखता है। माननीय न्यायालय भी तथ्यों का विशलेषण कर आवेदक का मामला सही पाया जाता है तो सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वात भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर उचित निर्णय करने का निवेदन करता है तो प्रथम दृष्ट्या न्यायालय हाजा विधि के प्रावधानों व अपनी अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग कर अपने ही निर्णय के कियान्वयन पर रोक लगा सकता है। अनावेदक ने महज प्रकरण की कार्यवाही को लम्बा करने के लिये गलत प्रा. पत्र पेश किया है। आवेदकगण सं. 2 व 4 नाबालिग है जिन्हे सीमाज्ञान बाबत् समझ भी नही रही है तथा अपने माता–पिता का देहान्त होने के पश्चात् अपनी बहन आवेदिका के सं. 1 के ससुराल पूनियां की ढाणी तन जाखल में निवास कर रहे है। जिसका पता गलत दर्ज कर आवेदिका ने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

बाला–बाला ही एक पक्षीय आदेश प्राप्त किये है। माननीय न्यायालय ने भी अपनी अर्न्तनिहित शक्तियों को प्रयोग करते हुये अपने आदेश दिनांक 10.08.2023 की कियान्वति को रोककर अनावेदकगण को नोटिस जारी किये है जिसकी बाद सुनवाई निर्णय पारीत किया जाना है। इसलिये जवाब पेश नही कर मौजूदा प्रा. पत्र पेश किया है इसलिये मौजूदा प्रा. पत्र प्राथमिक आपत्ति का खारीज योग्य है।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये तथा आदेश 09 नियम 13 के प्रावधानों का हवाला देते हुये मौजूदा प्रा. पत्र को स्वीकार कर, प्रा. पत्र मूल खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा. पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये तथा न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्तियों का हवाला देते हुये मौजूदा प्रा. पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण प्रा. पत्र सं. 62/2022 उनवानी विधाधर बनाम ओमप्रकाश निर्णय दिनांक 10.08.2023 अन्तर्गत 111,128 एल.आर. एक्ट के तहत बाबत् पत्थरगढी करवाने, के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है। आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत केवल एक पक्षीय डिक्रियों को अपास्त करने हेतु प्रावधान है, जबकि पत्थरगढी आदेश के विरूद्व अपर न्यायालयों मे अपील के प्रावधान मौजूद है। धारा 151 सीपीसी का प्रयोग करना न्यायालय का विवेकाधिकार है। व्यथित पक्ष अपीलीय न्यायालय मे चारा–जोही करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः यह प्रा. पत्र आदेश 09 नियम 13 तथा 151 सीपीसी के तहत पोषणीय नही पाया जाता है।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजूदा प्रा. पत्र ***"प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् प्रा. पत्र मूल आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत विधि सम्मत नही होने से खारीज किये जाने"*** का स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र मूल आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी का विधि द्वारा पोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश /निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ